291/2022

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.10.2022 वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 व 9 से 12 के वकील उपस्थित। मूलवाद के आदेशानुसार शेष विप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया, जिसकी प्रति वकील प्रार्थीगण को दिलवाई गई। उभयपक्ष अधिवक्ता बहस करने हेतु तैयार है। जो बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण की बहस है, कि विवादित कृषि पुश्तैनी है और प्रार्थीगण विप्रार्थी संख्या 01 के वारिसान है, जो विप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी संख्या 01 का लड़का व प्रार्थी संख्या 2 व 3 का दादा लगता है। विवादित कृषि विप्रार्थी संख्या 01 के नाम इन्द्राज होने के कारण बेचान करने पर उतारू है और इसी कारण माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई स्थगन आदेश जारी किया था। माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 31.8.2022 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। इसके विपरीत वकील विप्रार्थी की बहस है, कि प्रार्थीगण की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर वाद लाया है, जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित कृषि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा-काश्त नहीं है और न ही कोई हक हकूक बनता है। क्योंकि प्रार्थी संख्या 01 व प्रार्थी संख्या 2 व 3 विप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान है और विप्रार्थी संख्या 2 ही वाद ला सकता है लेकिन प्रार्थीगण केवल मात्र विप्रार्थी संख्या	[signature]

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	अहकाम की तामील
	ओ को परेशान करने की नियत से यह वाद लाये है, विपक्षी विवादित भूमि के रिकार्ड खातेदार है और रिकार्ड खातेदार के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। जो सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।	
	हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की ओर से विवादित भूमि को पुश्तैनी बताते हुए अपने हक हकूको की खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की हुक्म इस्तदुआ चाही गई है, जो दावा में कायम तनकीहो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण राहत प्राप्त करने के अधिकारी है अथवा नहीं। लेकिन स्थगन प्रकरण में यह तो तय है कि विपक्षी विवादित भूमि के रिकार्ड खातेदार है और रिकार्ड-खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्थगन आदेश से पाबंद किए जाने के कारण अपूरणीय क्षति ~~भूमि~~ विपक्षी को हो रही है इस कारण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
को पक्ष में नहीं बनता है। और प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी कागज पेश नहीं किया, जिससे साबित होता हो कि विवादित भूमि पर उन्नयन ओरण वाली भरतो जाना आदि आवश्यक हो। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र निरस्त योग्य है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र तालीम नक्शे के आधार पर होने के कारण न्यायालय द्वारा पारित उन्नयन आदेश दिनांक 3.8.2022 को निरस्त कर, आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act को खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली नियम अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	